



Neutral Citation No. - 2026:AHC:24630

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 4054 वर्ष 2026

राम लखन

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : संतोष कुमार पाण्डेय, सुधीर शुक्ला

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. यहाँ पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, विपक्षी पक्षकार को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि विपक्षी पक्षकार आदेश से व्यथित महसूस करता है, तो आदेश में संशोधन या परिवर्तन चाहने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मुख्य राहत प्रत्यर्थी संख्या 2/तहसीलदार, तहसील सोरांव, जिला प्रयागराज को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के तहत नामान्तरण केस संख्या 2867 वर्ष 2025 (कंप्यूटरीकृत केस संख्या टी202502030302867) को निर्धारित अवधि के भीतर निस्तारित करने का निर्देश देना है।
4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार, इस प्रकार के आवेदनों को समयबद्ध अवधि के भीतर निस्तारित किया जाना चाहिए। नियम 34 का उप-नियम (7) इस प्रकार है:-

"(7). तहसीलदार नामान्तरण के निर्विवाद मामले को वाद दर्ज होने की तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर और नामान्तरण के विवादित मामले को 90 दिनों की अवधि के भीतर तय करने का प्रयास करेगा और यदि कार्यवाही ऐसी अवधि के भीतर संपन्न नहीं होती है, तो उसका कारण दर्ज किया जाएगा।"
5. आगे यह तर्क दिया गया कि यद्यपि उपरोक्त अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।
6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान रिट याचिका को प्रत्यर्थी संख्या 2/तहसीलदार, तहसील सोरांव, जिला प्रयागराज को उपरोक्त केस को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



नियम 34 के उप-नियम (7) के प्रावधानों के अनुसार निस्तारित करने का निर्देश देते हुए अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

4 फरवरी, 2026

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"